


भारत सरकार

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग**

**डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति**

अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपति से यह उम्मीद की जाती है:

- सिद्ध नेतृत्व के गुणों और प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त एक दूरदर्शी के साथ शिक्षण और शोध प्रत्यायक होना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव के साथ उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड का होना या ख्याति प्राप्त शोध/अकादमिक प्रशासनिक संगठन में प्रदर्शित अकादमिक नेतृत्व में 10 वर्ष का अनुभव।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद पर 2,10,000/- रुपये (निश्चित) प्रतिमाह के साथ 11,250/- रुपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, एवं सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई हैं।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- यह नियुक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- यह विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट <http://mhrd.gov.in> और <http://www.dhgsu.ac.in> पर उपलब्ध है।
- निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर पहुंचाने चाहिए:

उप सचिव, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
कमरा संख्या 325, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115

लिफाफे पर "कुलपति के पद हेतु आवेदन-डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय", ऊपर लिखित होना चाहिए।

यह विभाग, डाक विलंब हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।